कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/6डी/सेटअप परिवर्तन/2021 दिनांक–यथा हस्ताक्षर

संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा, समस्त सम्भाग।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त जिले)।

विषयः– अधिशेष शिक्षकों/कार्मिकों के समायोजन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों सहित समस्त राजकीय विद्यालयों में विभिन्न कारणों से अधिशेष शिक्षकों/कार्मिकों के समायोजन के सम्बन्ध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते है :–

i. पदों का निर्धारण :– विद्यालय में अधिशेष शिक्षकों की पहचान के लिए विद्यालयवार स्वीकृत माने जाने वाले पदों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा :–

1. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों की गणना करते समय राज्य सरकार के दिशा–निर्देश क्रमांकः प.04(15)शिक्षा–1/2019 जयपुर दिनांकः 14.06.2019 (प्रति संलग्न) के प्रावधानानुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पद स्वीकृत माने जाने हैं, चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत होना शेष हों या शाला दर्पण पोर्टल पर अप्रदर्शित हो।
2. हिन्दी माध्यम विद्यालयों के लिए स्वीकृत पद तथा क्रमोन्नत विद्यालयों में न्यूनतम नामांकन के आधार पर शासन के दिशा–निर्देश क्रमांकः प.22(6)शिक्षा–1/2002 दिनांकः 30.04.2015 (प्रति संलग्न) के अनुसार पद स्वीकृत माने जाने हैं, चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत होना शेष है।

ii. स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान :–

1. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु शिक्षकों/कार्मिकों के चयन के उपरान्त, कार्यग्रहण के पश्चात् ही उन विद्यालयों में पहले से कार्यरत समकक्ष अचयनित शिक्षकों/कार्मिकों को अधिशेष माना जावे।
2. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में मानदण्डानुसार सृजन योग्य पदों से अधिक कार्यरत होने की स्थिति में ही कार्मिकों को अधिशेष माना जावे।
3. अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाऐं संचालित की जा रही है, में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने की स्थिति में, इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु चयनित अध्यापक, लेवल–प्रथम शिक्षकों को अधिशेष माना जावे।
4. क्रमोन्नत विद्यालय में शासन के दिशा–निर्देश क्रमांकः प.22(6)शिक्षा–1/2002 जयपुर, दिनांकः 30.04.2015 में अंकित मानदण्डानुसार पद स्वीकृत मानकर मानदण्डों से अधिक कार्यरत शिक्षकों/कार्मिकों को अधिशेष माना जावें।
5. जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया से पूर्व में चयनित अध्यापक, लेवल–प्रथम/द्वितीय का पदस्थापन किया गया है, लेकिन इन विद्यालयों में वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक/बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत होकर कार्मिक पदस्थापित हैं, को अधिशेष मानते हुए समायोजन किया जाएगा।
6. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जिस स्तर की अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित हो रही है उस स्तर तक पद प्रावधान हेतु अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु जारी मानदण्ड लागू होंगे (संलग्न)।हिन्दी

माध्यम की कक्षाओं हेतु पूर्व में मानदण्डानुसार स्वीकृत पदों के **अतिरिक्त अधिशेष कार्मिकों** का निर्धारण किया जायेगा।

7. प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत पदों **अथवा** मानदण्डानुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पदस्थापित कार्मिक/शिक्षक अधिशेष होंगे।
8. माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक **यथाः** वरिष्ठ प्रवोधक, प्रवोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैराटीचर, ट्रेनी टीचर इत्यादि जिनके पद इन विद्यालयों में **नहीं** होते हैंवे विभाग में अधिशेष माने जायेंगे।
9. न्यायिक प्रकरण में स्थगन प्राप्त शिक्षक/कार्मिक को अधिशेष नहीं माना जावे तथा इस कारण से संबंधित पद पर अन्य पदस्थापित शिक्षक/कार्मिक अधिशेष होंगे।
10. मंत्रालयिक संवर्ग के अधिशेष कार्मिकों की पहचान करते समय वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान सरकार की अ.शा. टीप क्रमांकः FD/E-2/कार्मिक(5)/2022–23 जयपुर, दिनांकः 25.05.2022 **(प्रति संलग्न)**की पालना सुनिश्चित की जावे।

iii. <u>सामान्य निर्देश</u> :–

1. विद्यालय में कार्मिकों की कार्यग्रहण तिथि के आधार पर वरिष्ठ कार्मिक का समायोजन उसी विद्यालय में करते हुए कनिष्ठ कार्मिक को विद्यालय में अधिशेष माना जाएगा। इसी प्रकार ग्राम/पंचायत/ब्लॉक में अधिशेष कार्मिकों को चिह्नित किया जाकर समायोजन किया जायेगा।
2. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु अचयनित शिक्षकों/कार्मिकों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों मे केवल तभी लगाया जाएगा, जबकिहिन्दी माध्यम विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो। यह समायोजन केवल चयनित शिक्षक/कार्मिक के उपलब्ध होने तक के लिए ही किया जायेगा।
3. माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद/विषय पर, उनके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किया जावे। अन्य पद/अन्य विषय के विरूद्ध पदस्थापन कतई नहीं किया जाऐ। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पद शेष नहीं रहने पर प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में समायोजन की कार्यवाही की जाए।
4. जिन अध्यापकों (लेवल–1 व लेवल–2) की उक्त नियम 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है, उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में लगाया जावे। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो तो ही उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में लगाया जाए।
5. जिन अध्यापकों (लेवल–1 अथवा लेवल–2) के सम्बन्ध में राजस्थान शिक्षा सेवा (राज्य एवं अधीनस्थ) नियम, 2021 के नियम 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्यवाही नहीं की गई है, उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में ही अधिशेष मानते हुए पंचायतीराज पदों पर लगाया जावे।
6. माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मिक **यथाः** वरिष्ठ प्रबोधक, प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैराटीचर, ट्रेनी टीचर इत्यादि को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही पदस्थापित किया जाऐ।
7. अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों/कार्मिकों को नियमानुसार केवल अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में व गैर अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों/कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जावे।

8. अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षक/कार्मिक जिनका टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानान्तरण आदेश जारी किये जा चुके है किन्तु रिलीवर के अभाव में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जा सका, उनको उन्हीं विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित माना जाऐ।
9. राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–2010 के तहत नियुक्त शिक्षकों/कार्मिकों को केवल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जा सकेगा।
10. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु चयनित हुए शिक्षकों/कार्मिकों के अधिशेष होने की स्थिति में उन्हेंअंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्राथमिकता से लगाया जावे।
11. शिकायत के आधार पर APO किए गए एवं प्राथमिक जांच में दोषी पाये गये (प्राथमिक जांच 10 दिन में पूर्ण की जाए) शिक्षक/कार्मिक को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान के वरिष्ठता क्षेत्र में संबंधित नियोक्ता अधिकारी द्वारा पदानुसार दूरस्थ जिले/दूरस्थ ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में लगाया जाए।
12. अन्य कारणो (प्रतिनियुक्ति समाप्ति सहित) से APO किए गए शिक्षकों/कार्मिको का समायोजन एपीओ किये जाने के समय/प्रतिनियुक्ति पर जाने से पूर्व के पदस्थापन जिले के उसी विद्यालय में/पूर्व पदस्थापन विद्यालय के निकटतम विद्यालय के रिक्त पद पर किया जावें।
13. न्यायिक प्रकरणों में स्थगन के कारण एक ही पद पर एक से अधिक शिक्षकों/कार्मिकों के पदस्थापन के कारण अधिशेष हुए अन्य शिक्षकों/कार्मिकों को अन्तिम निर्णय के अध्यधीन पूर्व पद पर कार्यग्रहण करवाया जावे।
14. पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति दे रहे शिक्षकों/कार्मिकों का समायोजन भी अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के साथ ही किया जावे।
15. अधिशेष शिक्षकों/कार्मिकों का समायोजन रिक्तियों के निम्नांकित क्रम में किया जावे :–
    i. उसी विद्यालय में पद रिक्त होने पर
    ii. उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त होने पर
    iii. उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर
    iv. ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ब्लॉक में स्थित अन्य विद्यालय में रिक्त पद पर
    v. सम्बन्धित ब्लॉक में पद रिक्त नहीं होने पर, अन्य ब्लॉक के विद्यालय में रिक्त पद पर। यथासम्भव निकट के ब्लॉक के विद्यालय में।
16. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में अधिशेष कार्मिको का समायोजन राज्य सरकार के पत्रांकः प. 5(09)प्राशि/2016 दिनांकः 28.05.2019 **(प्रति संलग्न)**में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाऐ।
17. मंत्रालयिक कर्मचारियों का समायोजन यथा सम्भव उसी जिले के विद्यालयों में ही किया जाएगा। जिले के विद्यालयों में पद रिक्त नहीं होने पर कार्यालयों में लगाया जा सकेगा।
18. शहरी क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन शहरी क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जायेगा।

iv. <u>अधिशेष कार्मिकों के समायोजन की प्रक्रिया एवं समय–सारणी</u> :–

क्र.सं.	समायोजन प्रक्रिया का विवरण	निर्धारित तिथि
1	अधिशेष कार्मिकों की पदवार सूची तैयार करना।	18.09.2024
2	अधिशेष कार्मिकों में से समायोजन योग्य कार्मिकों की बिन्दु संख्या–III के उप बिन्दु–15 के अनुसार सम्भावित पदस्थापन	20.09.2024

	स्थान सहित सूची तैयार करना।	
3	माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्रम संख्या–02 की कार्यवाही के उपरान्त शेष अधिशेष कार्मिकों की सूची प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को सुपुर्द करना।	20.09.2024
4	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग से लौटाये गये तथा प्रारम्भिक शिक्षा में अधिशेष कार्मिकों की समेकित पदवार सूची तैयार करना।	23.09.2024
5	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा बिन्दु संख्या–iii के उप बिन्दु–15के अनुसार सम्भावित पदस्थापन स्थान सहित सूची तैयार करना।	25.09.2024
6	प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करना।	26.09.2024

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार।

(सीताराम जाट)
I.A.S.
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं. राज (प्रा.शि.) विभाग,
राजस्थान, बीकानेर

(आशीष मोदी)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2- शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3- राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6- शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
7- अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर।
8- संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (माध्यमिक) कार्यालय हाजा।
9- वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), शिक्षा संकुल, जयपुर।
10- समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा।
11- समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
12- समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा।
13- सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14- उप निदेशक (शाला दर्पण प्रकोष्ठ), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
15- सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
16- सहायक निदेशक, एबी/सी/महात्मा गांधी/माध्यमिक/बजट/सामान्य प्रशासन अनुभाग, कार्यालय हाजा।
17- रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 04(15)शिक्षा–1/2019 जयपुर, दिनांक : 14/06/2019

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) योजना (स्तर प्रथम से बारहवीं तक)

1. **प्रस्तावना :–**

देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए अभी भी और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्तमान समय वैश्वीकरण (Globlisation) का है। शिक्षा में सतत् विकास के वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखण (Alignment with Global sustainable development goals) करने के लिए वैश्विक शिक्षा के विकास एजेंडा की दिशा में सतत् प्रयास करने की महती आवश्यकता है। जिसके लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है जिससे राज्य के विद्यार्थी वैश्विक समुदाय के साथ संरेखण कर अपना भविष्य तलाश सकें। राजस्थान हिंदी भाषी प्रदेश होने से प्रायः देखा जा रहा है कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अधिकतर विद्यार्थी अंग्रेजी में अपेक्षाकृत उपलब्धि प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति में राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य में ***"राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)"*** कक्षा एक से बारहवीं तक, स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ताकि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। इन विद्यालयों को जिलों एवं ब्लॉक में उत्कृष्टता के केन्द्र (Centre of Excellence) के रूप में विकसित किया जायेगा।

2. **स्थापना :–**

राज्य में 33 जिला मुख्यालयों पर और 301 ब्लॉक मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से आगामी वर्षों में इनकी स्थापना की जाएगी :–

1. प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर एक से अधिक राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक स्तर के विद्यालय स्थित हैं, इनमें से ही किसी एक विद्यालय का चयन कर ***"महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)"*** में रूपांतरित किया जायेगा।

2. प्रथम चरण में ***"महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)"*** प्रथम कक्षा से आठवीं तक के स्तर पर प्रारंभ किये जाएंगें जिनमें प्रथम वर्ष में प्रथम से आठवीं तक कक्षाएं संचालित की जाएंगी। आगामी वर्षों में क्रमशः नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा संचालित की जाएगी। इस प्रकार से स्थापना के चतुर्थ वर्ष में विद्यालय का स्तर प्रथम से बारहवीं स्तर तक का होगा।

3. उस विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी यदि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा नियमित नहीं रखना चाहते हों, तो उन्हें नजदीक के हिन्दी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा और अंग्रेजी माध्यम के इच्छुक विद्यार्थी अपने अध्ययन को अंग्रेजी माध्यम में नियमित रख सकेंगे।

4. इन विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम की पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जांएगी।

5. ***"महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)"*** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से सम्बद्ध रहेगा। पूर्व विद्यालय की सम्बद्धता का स्थानान्तरण नवीन विद्यालय के रूप में बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

6. ***"महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)"*** में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए RTE के मानकों के अनुरूप सैक्शन निर्धारित किये जायेंगे। कक्षा एक से पांच तक 30, छः से आठ में 35 एवं नवीं से बारहवीं तक 60 विद्यार्थी प्रति सैक्शन निर्धारित रहेंगे। राज्य सरकार आवश्यकतानुसार इसमें समय–समय पर समीक्षा उपरांन्त परिवर्तन करेगी।

3. शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक स्टाफ़ के मानदण्ड :–

1. शैक्षिक स्टाफ :– (I) एक से कक्षा दसवीं तक के लिए :

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	विषय	विशेष विवरण
1	प्रधानाचार्य (Principal)	1	–	विभाग में कार्यरत प्रधानाचार्य उच्च मा.वि. समकक्ष अधिकारी, जो कुशल नेतृत्वकर्ता के साथ–साथ अंग्रेजी भाषा संप्रेक्षण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जाये।
2	अध्यापक लेवल –1	5	–	विभाग में कार्यरत अध्यापक लेवल –1 यथा सम्भव अंग्रेजी–2, गणित, पर्यावरण, हिन्दी विषय के शिक्षकों का चयन किया जाये। (सभी विषयों के अध्यापक अंग्रेजी भाषा संप्रेक्षण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जाये)
3	अध्यापक लेवल –2	2	अंग्रेजी, गणित	विभाग में कार्यरत अध्यापक लेवल –2 शिक्षक (सभी विषयों के अध्यापक अंग्रेजी भाषा संप्रेक्षण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जाये)
4	वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड–2	6	अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिन्दी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान	विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक (सभी विषयों के अध्यापक अंग्रेजी भाषा संप्रेक्षण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जाये)
5	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक	1	–	विभाग में कार्यरत वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक (अंग्रेजी भाषा संप्रेक्षण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जाये)
6	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	–	विभाग में कार्यरत पु. अ. (अंग्रेजी भाषा संप्रेक्षण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जाये)
7	प्रयोगशाला सहायक	1	–	विभाग में कार्यरत प्र.शा.स. (अंग्रेजी भाषा संप्रेक्षण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जाये)
8	कम्प्यूटर शिक्षक	1	–	विभाग में कार्यरत अध्यापक लेवल –1/2 समकक्ष शिक्षक जो RSCIT/PGDCA/BCA/ MCA की योग्यता धारक हों। (अंग्रेजी भाषा संप्रेक्षण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जाये)

(II) **ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा प्रारंभ होने पर** संकाय के अनुसार पांच व्याख्याताओं के पद सृजित कर स्वीकृत संकाय/विषय अनुरूप दो/तीन वरिष्ठ अध्यापकों के पद कम किये जायेंगे। सम्बन्धित विषयों के व्याख्याताओं का चयन किया जायेगा। चयन में अंग्रेजी भाषा संप्रेक्षण कौशल में दक्ष को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. गैर शैक्षिक स्टाफ :

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	वरिष्ठ सहायक	1	
2	कनिष्ठ सहायक	1	कनिष्ठ सहायक कम कम्प्यूटर ऑपरेटर
3	सहायक कर्मचारी	3	

4. शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक स्टाफ का चयन :–

1. (i) ***"महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)"*** हेतु शिक्षा विभाग में कार्यरत दक्ष शिक्षकों (अंग्रेजी भाषा संप्रेक्षण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जाये।) में से योग्य शिक्षकों को साक्षात्कार (Walk in Interview) लेकर चयनित किया जाएगा। उक्त विद्यालय में पूर्व से कार्यरत शिक्षक भी साक्षात्कार में भाग ले सकेंगे। चयनित नहीं हो पाने वाले शिक्षकों को अन्यत्र समायोजित किया जा सकेगा।

(ii) अधिशेष शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया :

इन विद्यालयों की स्थापना के प्रथम वर्ष में कक्षा प्रथम से आठवीं तक अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित की जाएगी। शेष कक्षाएं यथावत संचालित की जाती रहेंगी।

कक्षा प्रथम से आठवीं तक अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों का चयन किये जाने पर अधिशेष शिक्षकों का समायोजन सक्षम अधिकारी द्वारा अन्य विद्यालयों में किया जायेगा। वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता पूर्ववत कार्य करते रहेंगे। आगामी वर्षों में जैसे–जैसे अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं उत्तरोत्तर बढ़ती जायेंगी, स्टाफ के चयन के कारण अधिशेष हुए वरिष्ठ अध्यापकों एवं व्याख्याताओं का समायोजन अन्यत्र किया जायेगा।

(iii) पदों का प्रावधान :

"महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" के रूप में संचालित किये जाने वाले विद्यालय में पूर्व स्वीकृत पदों को इन विद्यालयों में रूपान्तरित किया जायेगा। स्वीकृत पद कम या नहीं होने की स्थिति में विभाग में उपलब्ध आरक्षित पदों में से पदों का आवंटन किया जायेगा। आगामी वर्षों में आवश्यक पद स्वीकृत करने के प्रस्ताव निदेशालय द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किये जायेंगे। वेतन आहरण एवं पदों के लिए आवश्यक प्रक्रिया निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा की जायेगी।

2. गैर–शैक्षिक स्टाफ का चयन साक्षात्कार (Walk in Interview) के माध्यम से किया जाएगा।

3. स्टाफ चयन समिति :

I. प्रधानाचार्य के चयन हेतु राज्य स्तरीय समिति :

(i) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर – अध्यक्ष

(ii) प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि – सदस्य

(iii) आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि – सदस्य

(iv) राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं पदेन अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर – सदस्य

(v) उप निदेशक (माध्यमिक) निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर – सदस्य सचिव

II. शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक स्टाफ के चयन हेतु जिला स्तरीय समिति :

(i) मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी – अध्यक्ष

(ii) प्रतिनिधि राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं पदेन अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर – सदस्य

(iii) प्रतिनिधि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर – सदस्य

(iv) प्रधानाचार्य, सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) – सदस्य

(v) प्रधानाचार्य, सम्बन्धित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय – सदस्य

(vi) संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक – सदस्य सचिव

राज्य एवं जिला स्तरीय चयन समिति में प्रतिनिधियों का मनोनयन संबधित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। चयन समिति द्वारा पैनल बनाकर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को भेजा जायेगा, जिसका अनुमोदन राज्य सरकार से होने पर पदस्थापन आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।

5. भौतिक अवसंरचना (Physical Infrastructure) :–

1. विद्यालय भवन :

चयनित विद्यालय का भवन ही *"महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)"* का भवन होगा। प्राथमिक कक्षाओं के लिए कक्षा–कक्षों को गतिविधि आधारित शिक्षण (Activity Base Learning Rooms) कक्षों के रूप में रूपांतरित किया जायेगा। उपलब्ध संसाधनों की कमी की स्थिति में प्राथमिकता से कक्षा–कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान, पेयजल सुविधा, बालक व बालिकाओं के लिए पृथक्–पृथक् शौचालय, विद्युत कनेक्शन, फर्नीचर, ABL कक्षा–कक्ष, नेट कनेक्टिविटी की सुनिश्चितता, स्मार्ट क्लास, गणित–विज्ञान कक्ष आदि की उपलब्धता चरणबद्ध रूप से अग्रांकित विवरणानुसार की जायेगी ताकि विद्यालय उत्कृष्टता के केन्द्र (Centre of Excellence) के रूप में विकसित हो सके।

(i) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना में उपलब्ध कमियों (GAPS) के आधार पर प्लान तैयार किया जाकर भारत सारकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार निर्माण कार्य करवाये जायेंगे।

(ii) विद्यालय भवनों का विकास राज्य सरकार की अन्य योजनाओं यथा – MLA LAD/MP LAD/MSDP/TSP/DMFT आदि के माध्यम से करवाया जायेगा तथा मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना, भामाशाहों, दानदाताओं एवं सी.एस.आर. के माध्यम से भी विद्यालय विकास करवाया जायेगा।

(iii) इस कार्य में जिला स्तर पर उपलब्ध कोष यथा – जिला समान परीक्षा, जिला खेलकूद कोष एवं सम्बन्धित विद्यालय के छात्रकोष/विकास कोष की राशि का उपयोग भी आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

(iv) *"महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)"* में खेलकूद सुविधाओं का विकास किया जायेगा। खेल मैदान, परिसर सौंदर्यकरण एवं वृक्षारोपण का कार्य संबंधित नगर पालिका/नगर निगम के माध्यम से किया जायेगा।

2. आईसीटी :

समस्त *"महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)"* में **कम्प्यूटर** लैब, इंटरनेट कनेक्टिविटि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी एवं कक्षा शिक्षण में आई.सी.टी एवं स्मार्ट क्लास का उपयोग किया जायेगा।

3. विद्यालय विकास एवं प्रबधंन समिति :

1. विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति पूर्व में पंजीकृत समिति ही रहेगी, जिसका आवश्यकतानुसार पुनर्गठन किया जा सकेगा।

6. मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण :–

इन विद्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का होगा। इनके प्रबोधन, प्रभावी पर्यवेक्षण एवं अकादमिक सम्बलन हेतु निदेशालय में उप निदेशक (माध्यमिक) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर उनको इसका उत्तरदायित्व दिया जायेगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा इनके प्रबोधन एवं प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु ऑनलाइन एम.आई.एस. (शाला दर्पण) विकसित किया जायेगा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल के साथ–साथ *"महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)"* का भी परिवीक्षण, प्रबोधन एवं संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी।

जिला एवं ब्लॉक स्तर पर क्रमशः जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रबोधन के लिए पदेन उत्तरदायी होंगे।

7. प्रवेश प्रक्रिया :–

इन विद्यालयों में प्रवेश सैक्शन में निर्धारित संख्या के अनुसार ही दिया जा सकेगा। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रवेश लॉटरी प्रक्रिया अपना कर किया जायेगा।

14/04/2010

(प्रदीप गोयल)
शासन उप सचिव–प्रथम

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

कमांकः प. 22(6)शिक्षा–1/2002 जयपुर, दिनांकः 30-04-15

आदेश

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग के आदेश कमांकः प. 6(13)प्र.सु./अनु–3/2014 दिनांकः 28.05.2014 एवं 23.12.2014 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक एवं मंत्रालयिक कार्मिकों के पदों के मानदण्ड निर्धारण हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की अभिशंषानुसार उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के मानदंड निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं :–

1. उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डों का निर्धारणः–

1.1 एक संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डो का निर्धारणः–

1.1.1 एक संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11–12 का नामांकन 120 तक, कक्षा 9–10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6–8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1–5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे :–

(i) कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान संकाय (कुल सेक्शन–12)	कला संकाय (कुल सेक्शन–12)	वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–12)
• प्रधानाचार्य – 1 • व्याख्याता –5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3) • वरिष्ठ अध्यापक–03 (गणित, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2–03 (विज्ञान/गणित, हिन्दी, अंग्रेजी) • अध्यापक लेवल 1 – 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II– 01 **कुल शिक्षक–14**	• प्रधानाचार्य – 1 • व्याख्याता –5 (अनिवार्य विषय–2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय –3) • वरिष्ठ अध्यापक--03 (गणित,विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2–03 (सामा.विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी) • अध्यापक लेवल 1 – 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–14**	• प्रधानाचार्य – 1 • व्याख्याता –5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3) • वरिष्ठ अध्यापक–04 (सामा. विज्ञान, गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2–02 (हिन्दी, अंग्रेजी) • अध्यापक लेवल 1 – 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–14**

(ii) **कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड**

विज्ञान संकाय (कुल सेक्शन–7)	कला संकाय (कुल सेक्शन–7)	वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–7)
• प्रधानाचार्य – 1 • व्याख्याता –05 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय– 3) • वरिष्ठ अध्यापक–03 (गणित, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल–2–03 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान / गणित) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–12**	• प्रधानाचार्य – 1 • व्याख्याता –5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय 3) • वरिष्ठ अध्यापक– 3 (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल–2–03 (हिन्दी,अंग्रेजी, सामा. विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–12**	• प्रधानाचार्य – 1 • व्याख्याता –5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय 3) • वरिष्ठ अध्यापक– 4 (सामा0 विज्ञान, गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल–2–02 (हिन्दी,अंग्रेजी,) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–12**

(iii) **कक्षा 9 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड**

विज्ञान संकाय (कुल सेक्शन–4)	कला संकाय (कुल सेक्शन–4)	वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–4)
• प्रधानाचार्य – 1 • व्याख्याता –5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय– 3) • वरिष्ठ अध्यापक– 3 (गणित, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II –01 **कुल शिक्षक–9**	• प्रधानाचार्य – 1 • व्याख्याता –5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय 3) • वरिष्ठ अध्यापक– 3 (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–9**	• प्रधानाचार्य – 1 • व्याख्याता –5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय 3) • वरिष्ठ अध्यापक– 4 (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा, सा.विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–10**

1.1.2 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जावेगा।

1.1.3 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद देय नहीं होगा।

1.1.4 विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान तथा गणित दोनों ही ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर व्याख्याता गणित का पद दिया जायेगा।

1.1.5 विज्ञान संकाय में ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद विज्ञान विषय का एवं ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं गणित होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद गणित विषय का

होगा। ऐच्छिक विषय रसायन, भौतिक, जीव विज्ञांन तथा गणित होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद गणित विषय का होगा।

1.1.6 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ–साथ कृषि संकाय भी है तो वहॉ एक व्याख्याता कृषि का भी देय होगा।

1.1.7 कक्षा 11–12 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर 1 अतिरिक्त विषय व्याख्याता शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

1.1.8 कक्षा 9–10 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

1.1.9 कक्षा 6–8 का नामांकन 105 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक लेवल–2 शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

1.1.9 कक्षा 1 से 5 का नामांकन 60 से अधिक होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त अध्यापक देय होंगे :–

नामांकन	मानदण्ड
61–200	(i)प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक
	(ii)नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हैड टीचर कार्य हेतु
200 से अधिक	प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक

1.2 दो संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डो का निर्धारण:–

1.2.1 **दो** संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11–12 का प्रत्येक संकाय में नामांकन 120 तक, कक्षा 9–10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6–8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1–5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे :–

(i) कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–14)	विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–14)	कला एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–14)
• प्रधानाचार्य – 01 • व्याख्याता –08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय– 06) • वरिष्ठ अध्यापक–03 (गणित, सामा.विज्ञान, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2– 03 (हिन्दी, अंग्रेजी,गणित / विज्ञान) • अध्यापक लेवल 1 – 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–17**	• प्रधानाचार्य – 01 • व्याख्याता –08 (अनिवार्य विषय–2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय–06) • वरिष्ठ अध्यापक–03 (गणित, सामा.विज्ञान, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2–03 (हिन्दी, अंग्रेजी,विज्ञान) • अध्यापक लेवल 1–02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–17**	• प्रधानाचार्य – 01 • व्याख्याता –08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय 06) • वरिष्ठ अध्यापक–03 (गणित, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2– 03 (हिन्दी, अंग्रेजी,विज्ञान) • अध्यापक लेवल 1 – 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II– 01 **कुल शिक्षक–17**

(ii) कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

विज्ञान एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–9)	विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–9)	कला एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–9)
• प्रधानाचार्य – 01 • व्याख्याता –08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय– 06) • वरिष्ठ अध्यापक–02 (गणित, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2– 03 (हिन्दी,अंग्रेजी विज्ञान / गणित) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II– 01 **कुल शिक्षक–14**	• प्रधानाचार्य – 01 • व्याख्याता –08 (अनिवार्य विषय–2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय–06) • वरिष्ठ अध्यापक–03 (सामा.विज्ञान,गणित, एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2–03 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–15**	• प्रधानाचार्य – 01 • व्याख्याता –08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय 06) • वरिष्ठ अध्यापक 03 (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2–03 (हिन्दी, अंग्रेजी,सामा.विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II–01 **कुल शिक्षक–15**

(iii) कक्षा 9 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

विज्ञान एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–6)	विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–6)	कला एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–6)
• प्रधानाचार्य – 01 • व्याख्याता –08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय– 06) • वरिष्ठ अध्यापक–03 (हिन्दी / अंग्रेजी, गणित, तृतीय भाषा) शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II– 01 **कुल शिक्षक–12**	• प्रधानाचार्य – 01 • व्याख्याता – 08 (अनिवार्य विषय–2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय–06) • वरिष्ठ अध्यापक–04 (हिन्दी / अंग्रेजी, गणित, सामा. विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–13**	• प्रधानाचार्य – 01 • व्याख्याता –08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय 06) • वरिष्ठ अध्यापक–04 (हिन्दी / अंग्रेजी विज्ञान, गणित एवं तृतीय भाषा) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–13**

1.2.2 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जावेगा।

1.2.3 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद देय नहीं होगा।

1.2.4 विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान तथा गणित दोनों ही ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर व्याख्याता गणित का पद दिया जायेगा।

1.2.5 विज्ञान संकाय में ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद विज्ञान विषय का एवं ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं गणित होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद गणित विषय का होगा। ऐच्छिक विषय रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान तथा गणित होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद गणित विषय का होगा।

1.2.6 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ–साथ कृषि संकाय भी है तो वहाँ एक व्याख्याता कृषि का भी देय होगा।

1.2.7 कक्षा 11–12 का प्रत्येक संकाय में नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर 1 अतिरिक्त विषय व्याख्याता शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

1.2.8 कक्षा 9–10 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

1.2.9 कक्षा 6–8 का नामांकन 105 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक लेवल–2 शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

1.2.10 कक्षा 1 से 5 का नामांकन 60 से अधिक होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त अध्यापक देय होंगे :–

नामांकन	मानदण्ड
61–200	(i)प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक
	(ii)नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हैड टीचर कार्य हेतु
200 से अधिक	प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक

1.3. तीन संकाय (विज्ञान, कला एवं वाणिज्य) वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डो का निर्धारणः–

1.3.1 तीन संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11–12 का प्रत्येक संकाय का नामांकन 120 तक, कक्षा 9–10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6–8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1–5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे :–

(i) कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–16)
• प्रधानाचार्य – 01
• व्याख्याता –11 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय– 09)
• वरिष्ठ अध्यापक–04 (गणित, तृतीय भाषा, हिन्दी, अंग्रेजी)
• अध्यापक लेवल 2– 02 (विज्ञान,सामा.विज्ञान)
• अध्यापक लेवल 1 – 02
• शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01
कुल शिक्षक–20

(ii) कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–11)
• प्रधानाचार्य – 01
• व्याख्याता –11 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय– 09)
• वरिष्ठ अध्यापक–04 (गणित,तृतीय भाषा, हिन्दी, अंग्रेजी)
• अध्यापक लेवल 2– 02 (विज्ञान,सामा.विज्ञान)
• शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01
कुल शिक्षक–18

(iii) कक्षा 9 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–11)
• प्रधानाचार्य – 01
• व्याख्याता –11 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय– 09)
• वरिष्ठ अध्यापक–04 (हिन्दी, अंग्रेजी तृतीय भाषा, गणित)
• शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–16**

1.3.2 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जावेगा।

1.3.3 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद देय नहीं होगा।

1.3.4 विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान तथा गणित दोनों ही ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर व्याख्याता गणित का पद दिया जायेगा।

1.3.5 विज्ञान संकाय में ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद विज्ञान विषय का एवं ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं गणित होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद गणित विषय का होगा। ऐच्छिक विषय रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान तथा गणित होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद गणित विषय का होगा।

1.3.6 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ–साथ कृषि संकाय भी है तो वहाँ एक व्याख्याता कृषि का भी देय होगा।

1.3.7 कक्षा 11–12 का नामांकन 360 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर 1 अतिरिक्त विषय व्याख्याता शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

1.3.8 कक्षा 9–10 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

1.3.9 कक्षा 6–8 का नामांकन 105 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक लेवल–2 शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

1.3.10 कक्षा 1 से 5 का नामांकन 60 से अधिक होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त अध्यापक देय होंगे :–

नामांकन	मानदण्ड
61–200	(i)प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक
	(ii)नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हैड टीचर कार्य हेतु
200 से अधिक	प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक

2. माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

2.1 माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9–10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6–8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1–5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे

(i) कक्षा 1 से 10 तक संचालित माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

- प्रधानाध्यापक – 01
- वरिष्ठ अध्यापक– 06 (गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामा.विज्ञान, हिन्दी, तृतीय भाषा)
- अध्यापक लेवल 2 – 02 (विज्ञान, अंग्रेजी)
- अध्यापक लेवल 1 – 02
- शारीरिक शिक्षक ग्रेड II/III – 01

कुल शिक्षक–11

(ii) माध्यमिक विद्यालय (कक्षा–6 से 10) (कुल सेक्शन–05)

- प्रधानाध्यापक – 01
- वरिष्ठ अध्यापक – 06 (गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामा.विज्ञान, हिन्दी, तृतीय भाषा
- अध्यापक लेबल 2 – 01 (गणित / विज्ञान)
- शारीरिक शिक्षक ग्रेड II/III – 01

कुल शिक्षक–08

2.2 कक्षा 9–10 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

2.3 कक्षा 6–8 का नामांकन 105 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक लेवल–2 शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

2.4 कक्षा 1 से 5 का नामांकन 60 से अधिक होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त अध्यापक देय होंगे :–

नामांकन	मानदण्ड
61–200	(i)प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक
	(ii)नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हैड टीचर कार्य हेतु
200 से अधिक	प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक

3 मानदंड निर्धारण के अन्य प्रावधान

3.1 प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह में 12 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।

3.2 विषय व्याख्याता द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 33 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः विषय व्याख्याता द्वारा कक्षा 11 एवं 12 के शैक्षणिक कार्य के सम्पादन के पश्चात् कालांश भार शेष बचने पर कक्षा 9 एवं 10 को भी शिक्षण कार्य कराया जावेगा।

3.3 वरिष्ठ अध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 36 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः वरिष्ठ अध्यापक द्वारा कक्षा 9 व 10 के कार्य संपादन के पश्चात् कालांश भार शेष बचने पर कक्षा 6, 7 एवं 8 को भी शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। व्याख्याता के पद रिक्त होने पर संबंधित विषय के वरिष्ठ अध्यापक द्वारा कक्षा 11 एवं 12 में आवश्यकतानुसार शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।

3.4 अध्यापक लेवल–2 द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 42 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः अध्यापक लेवल–2 द्वारा कक्षा 6–8 का शिक्षण कार्य संपादन के पश्चात् कालांश भार शेष रहने पर कक्षा 1–5 को भी शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त होने पर संबंधित विषय के अध्यापक लेवल–2 द्वारा कक्षा 9 से 12 में आवश्यकतानुसार शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।

3.5 अध्यापक लेवल–1 द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कक्षा 1 से 5 को कुल 42 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।

3.6 उपरोक्तानुसार मुख्य शैक्षिक विषय कालांशों के अतिरिक्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा सहशैक्षिक गतिविधियों के कालांश समानुपातिक रूप से आवश्यकतानुसार आवंटित किये जावेंगे।

3.7 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कला/वाणिज्य संकायों में तीन ऐच्छिक विषय ही होंगे। अतिरिक्त ऐच्छिक विषय संबंधित संकाय में कक्षा 11–12 में 120 से अधिक नामांकन होने एवं अतिरिक्त विषय में कक्षा 11 में 20 से अधिक विद्यार्थी होने पर राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही खोला जावेगा।

3.8 यदि किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कला/वाणिज्य संकाय में तीन से अधिक ऐच्छिक विषय है एवं कक्षा 11–12 में नामांकन 120 से कम है तो कक्षा 11 में किसी अतिरिक्त ऐच्छिक विषय में 20 से कम विद्यार्थी प्रवेश हेतु इच्छुक होने पर

उस ऐच्छिक विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा वर्तमान सत्र में कक्षा 12 में 10 या उससे अधिक विद्यार्थी होने पर वर्तमान सत्र में अतिरिक्त विषय चालू रहेगाा तथा आगामी सत्र से तीन ऐच्छिक विषयों के अतिरिक्त ऐच्छिक विषय को बंद कर दिया जायेगा। यदि वर्तमान सत्र में कक्षा 12 में 10 से कम विद्यार्थी है तो अतिरिक्त ऐच्छिक विषय को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जावेगा।

अपवाद – यदि किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय में तीन ऐच्छिक विषय के अतिरिक्त चतुर्थ ऐच्छिक विषय अल्पभाषा विषय (सिंधी,उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी एवं संगीत) हो तथा स्वीकृत विषय व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक का पद भरा हुआ हो तो चतुर्थ ऐच्छिक विषय बंद नहीं किया जायेगा। परन्तु यदि लगातार तीन वर्षो तक नामांकन 10 से कम रहता है तो ऐसे विषय को बन्द किया जावेगा।

3.9 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ–साथ कृषि संकाय भी है तो वहॉ कृषि संकाय में छात्र संख्या 20 से अधिक होने पर एक व्याख्याता कृषि देय होगा। यदि छात्र संख्या 20 से कम है तो कृषि संकाय बंद कर दिया जावेगा।

3.10 कक्षा 6 से 12 में नामांकन 200 तक वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद नहीं दिया जावेगा। कक्षा 6 से 12 में नामांकन 200 से अधिक होने पर पुस्तकालयध्यक्ष प्रथम/द्वितीय/तृतीय श्रेणी का 1 पद दिया जा जायेगा। पुस्तकालध्यक्ष ग्रेड–प्रथम एवं द्वितीय के कुल स्वीकृत पदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। कुल स्वीकृत पदों में कमी अथवा वृद्धि केवल तृतीय श्रेणी के पदों में की जावेगी।

3.11 750 से अधिक नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक प्रथम श्रेणी का पद, 251 से 750 नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक द्वितीय श्रेणी तथा अन्य उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी का पद देय होगा।

3.12 एक से अधिक परिसरों में संचालित विद्यालयों के लिये परिसर में संचालित कक्षाओं के अनुरूप उक्त मानदण्डों के अनुसार शिक्षक उपलब्ध करवाये जायेंगे। उदारणार्थ :– एक परिसर में कक्षा 9 से 12 व दूसरे परिसर में कक्षा 1 से 8 संचालित होने पर कक्षा 9 से 12 हेतु पदों का निर्धारण 1.1.1(iii) तथा कक्षा 1 से 8 हेतु आरटीई, 2009 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

3.13 कक्षा 6 से 12 में 200 तक नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक/शिक्षक ही पुस्तकालय के प्रभारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

3.14 जिन उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक कक्षाओं हेतु एक से अधिक तृतीय भाषा के पद स्वीकृत हैं, ऐसे विद्यालयों में जिस तृतीय भाषा में 10 विद्यार्थियों से कम विद्यार्थी संख्या है एवं विषय अध्यापक का पद भी रिक्त है, तो अतिरिक्त तृतीय भाषा के पद को समाप्त कर दिया जायेगा।

4. मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु मानदण्ड

4.1 उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मानदंड निम्नानुसार होंगे :–

विद्यालय का स्तर	नामांकन (6 से 10)	मंत्रालयिक कर्मचारी LDC/UDC/OA	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
माध्यमिक (6 से 10 के नामांकन पर आधारित)	100 तक	LDC-1	IV Class-1
	101–500 तक	LDC-1 UDC/OA-1	IV Class-2
	501–1000 तक	LDC-1 UDC/OA-2	IV Class/ Jamadar-4
	1000 से अधिक	LDC-2 UDC/OA-2	IV Class/ Jamadar-5

विद्यालय का स्तर	नामांकन (6 से 12)	मंत्रालयिक कर्मचारी LDC/UDC/OA	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / प्रयोगशाला सेवक
उच्च माध्यमिक (6 से 12 के नामांकन पर आधारित)	100 तक	LDC-1	IV Class-1
	101–500 तक	LDC-1 UDC/OA-1	IV Class-2
	501–1000 तक	LDC-1 UDC/OA-2	IV Class/ Jamadar-4
	1000 से अधिक	LDC-2 UDC/OA-2	IV Class/ Jamadar-5

4.2 वरिष्ठ लिपिक एवं कार्यालय सहायक के वित्त विभाग द्वारा निर्धारित पदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। पदों में कमी अथवा वृद्धि कनिष्ठ लिपिक के पदों में ही की जावेगी। इसी प्रकार जमादार के कुल स्वीकृत पदों में कोई बदलाव नहीं किया जावेगा, पदों में कमी अथवा वृद्धि चतुर्थ श्रेणी के पदों में ही की जावेगी।

4.3 विज्ञान संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर 2 प्रयोगशाला सहायक एवं 2 प्रयोगशाला सेवक के पद देय होंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर 3 प्रयोगशाला सहायक एवं 3 प्रयोगशाला सेवक देय होंगे।

5. मानदंडानुसार विद्यालयवार पदों का निर्धारण एवं समानीकरण हेतु प्रक्रिया

5.1 मानदंडानुसार विद्यालय में पदों का निर्धारण उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में गठित निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा :–

1. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा	अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा	सदस्य
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य सचिव
4. उपनिदेशक, माध्यमिक द्वारा मनोनीत दो प्रधानाचार्य (1 शहरी क्षेत्र एवं 1 ग्रामीण क्षेत्र से)	सदस्य

5.2 समिति की अभिशंषा पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत कुल पदों की सीमा तक जारी किये जायेंगे। यदि कुल स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है तो वित विभाग/राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त की जावेगी।

5.3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश जारी करने के पश्चात संबंधित अधिकारी द्वारा विद्यालय में कार्यरत कनिष्ठतम अध्यापक/कार्मिक को विषयवार/संवर्गवार Surplus किया जाकर अन्य विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जावेगा।

5.4 उपरोक्तानुसार पदों के पुनःनिर्धारण एवं समानीकरण की कार्यवाही प्रथमतः वर्ष 2015–16 में एवं तत्पश्चात प्रत्येक दो वर्ष में एक बार की जावेगी। सामान्यतया समस्त कार्यवाही 15 जून तक पूर्ण कर ली जावेगी। मानदंडों के अनुसार पदों की गणना हेतु गत वर्ष की 30 सितंबर को विद्यालय में नामांकन को आधार माना जावेगा। उदाहरणार्थ :– वर्ष 15–16 के पदों के पुर्ननिर्धारण हेतु 30 सितंबर 2014 के नामांकन को आधार माना जावेगा।

6 नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदों का सृजन

(वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों सहित)

6.1 नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषयों के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जायेंगे।

6.2 इन विद्यालयों में तृतीय वर्ष से कक्षा 11 व 12 में नामांकन 80 से अधिक होने पर अनिवार्य विषय (अंग्रेजी व हिन्दी) के वरिष्ठ अध्यापक के स्थान पर व्याख्याता के पद दिये जायेंगे।

6.3 नवकमोन्नत विद्यालयों में नवसृजित व्याख्याताओं के पदों को भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में operate किया जावेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावेगी।

6.4 इन विद्यालयों में प्रथम वर्ष में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद नहीं दिया जावेगा तथा द्वितीय वर्ष में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद बिन्दू संख्या 3.10 पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार दिया जावेगा।

6.5 इन विद्यालयों में प्रथम वर्ष में विज्ञान संकाय के लिए केवल एक प्रयोगशाला सहायक व एक प्रयोगशाला सेवक दिये जावेंगे शेष पद बिन्दु संख्या 4.3 पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार द्वितीय वर्ष में दिये जायेंगे।

6.6 उक्त आदेश शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक एवं मंत्रालयिक कार्मिकों के मानदण्ड निर्धारण हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेशों के अधिकमण में जारी किये जाते है।

आज्ञा से,

30/4/15

(अन्तर सिंह नेहरा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान।
02. विशिष्ट सहायक, मा0 शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार।
03. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
05. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
06. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को भेजकर निर्देशानुसार लेख है कि सत्र 2015–16 से उपरोक्तानुसार पद निर्धारित करने की कार्यवाही कर की गयी कार्यवाही से अवगत कराने का श्रम करावें।
07. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
08. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
09. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग शासन सचिवालय।
12. रक्षित पत्रावली।

30/4/15

संयुक्त शासन सचिव

महात्मा गाँधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना के तहत संचालित विद्यालयों हेतु मानदण्डों का निर्धारण :–

1. कक्षा 1 से 5 स्तर तक अंग्रेजी माध्यम हेतु अध्यापक लेवल–1 के 5 पद देय होंगे। **(संविदा भर्ती से सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम लगाये जाने पर उतनी ही संख्या में अध्यापक, लेवल–प्रथम के पद कम किये जायेंगे)**
2. कक्षा 6 अंग्रेजी माध्यम में प्रारम्भ होने पर अध्यापक लेवल–2 के 2 पद (अंग्रेजी तथा विज्ञान/गणित) देय होंगे। **(संविदा भर्ती से सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय (अंग्रेजी/विज्ञान–गणित) लगाये जाने पर उस विषय के अध्यापक, लेवल–द्वितीय के पद कम किये जायेंगे)**
3. कक्षा 8वीं अंग्रेजी माध्यम में प्रारम्भ होने पर प्रधानाचार्य (उमावि) का पद देय होगा।
4. कक्षा 9वीं अंग्रेजी माध्यम में प्रारम्भ होने पर निम्नांकित पद देय होंगे :–

- वरिष्ठ अध्यापक के 6 पद (अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिन्दी, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा)
- वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक का 01 पद
- पुस्तकालयाध्यक्ष – 01 पद
- प्रयोगशाला सहायक –01 पद
- बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक/वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक– 01 पद **अथवा** कम्प्यूटर शिक्षक (अध्यापक लेवल–1/लेवल–2)

5. **यदि विद्यालय में पूर्व से एक से अधिक तृतीय भाषाऐं पढ़ाई जा रही है तो प्रत्येक तृतीय भाषा हेतु 1 पद पूर्व में स्वीकृत अनुसार देय होगा।**
6. कक्षा 11वीं अंग्रेजी माध्यम में प्रारम्भ होने पर एक संकाय होने की स्थिति में व्याख्याता के 5 पद (2 अनिवार्य व 3 ऐच्छिक विषय के अनुसार) देय होंगे।
7. व्याख्याताओं के 5 पद स्वीकृत होने पर वरिष्ठ अध्यापकों के पद हिन्दी माध्यम के विद्यालयों के मानदण्डानुसार ही कम किये जायेंगे।
8. नामांकन अनुसार अतिरिक्त विषय/अतिरिक्त संकाय प्रारम्भ किये जाने पर व्याख्याताओं एवं वरिष्ठ अध्यापकों के पद हिन्दी माध्यम विद्यालयों के लिए तय मानदण्डानुसार ही सृजित/कम किये जायेंगे।
9. पूर्व प्राथमिक/बाल वाटिका कक्षा संचालन वाले विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के 02–02 पद देय होंगे।
10. महात्मा गाँधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मानदंड निम्नानुसार होंगे :–

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	वरिष्ठ सहायक	1	कक्षा 9 का अंग्रेजी माध्यम में संचालन शुरू होने पर।
2	कनिष्ठ सहायक	1	कक्षा 8 का अंग्रेजी माध्यम में संचालन शुरू होने पर।
3	सहायक कर्मचारी	3	अंग्रेजी माध्यम में विद्यालय प्रारम्भ होने पर 01 पद तथा कक्षा–9वीं अंग्रेजी माध्यम में प्रारम्भ होने पर शेष 02 पद देय होंगे।

326

290/C

राजस्थान सरकार
वित्त (व्यय) विभाग

विषय :– अधीनस्थ विभागों में मंत्रालयिक संवर्ग के स्वीकृत पदों के पुनर्गठन किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अधीनस्थ विभागों के मंत्रालयिक संवर्ग में वर्तमान में स्वीकृत पदों का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :–

क्र. सं.	पदनाम	मंत्रालयिक संवर्ग वर्तमान स्वीकृत पद	प्रतिशत	संशोधित पद	संशोधित कॉडर स्ट्रैन्थ का प्रतिशत	वृद्धि (+)/ कमी (–)
1	संस्थापन अधिकारी (ग्रेड–पे 6000 L-15)	92	0.13	684	1	+592
2	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड–पे 4800 L-12)	376	0.55	2050	3	+1674
3	अति. प्रशा. अधिकारी (ग्रेड–पे 4200 L-11)	2220	3.25	5469	8	+3249
4	सहायक प्रशा. अधिकारी (ग्रेड–पे 3600 L-10)	8737	12.8	11622	17	+2885
5	वरिष्ठ सहायक (ग्रेड–पे 2800 L-8)	19129	28	16407	24	-2722
6	कनिष्ठ सहायक (ग्रेड–पे 2400 L-5)	37808	55.3	32130	47	-5678
		68362	100	68362		

टिप्पणी :–

- जिन विभागों में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं होने पर उपर्युक्त अनुसार पदों का निर्धारण नहीं हो पाता है, तो अपवाद स्वरूप निम्न प्रकार से पुनर्गठन किया जाता है:–
  (i) विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के 50 से अधिक पद, परन्तु 100 से कम पदों पर न्यूनतम एक संस्थापन अधिकारी
  (ii) विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के 25 से अधिक पदों पर न्यूनतम एक प्रशासनिक अधिकारी
  (iii) प्रत्येक विभाग के मंत्रालयिक सेवा संवर्ग में न्यूनतम एक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
- मंत्रालयिक संवर्ग में उपरोक्तानुसार सृजित पदों से पूर्व में ही किसी पद पर अधिक कार्मिक कार्यरत है तो सृजित पदों के अतिरिक्त पदों को अस्थाई रूप से सृजित माना जायेगा तथा जैसे–जैसे पदोन्नति/सेवानिवृत्ति से पद रिक्त होगें, अस्थाई रूप से सृजित पद स्वतः ही समाप्त माने जायेगें।
- उक्त अनुसार विभागों के मंत्रालयिक संवर्ग का पुनर्गठन करने पर यह सुनिश्चित किया जावें, कि 01.04.2022 को मंत्रालयिक संवर्ग के स्वीकृत कुल पदों में कोई वृद्धि नहीं हो।

उपरोक्तानुसार प्रशासनिक विभागों से दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार सूचना प्राप्त कर, मंत्रालयिक संवर्ग के पदों का पुनर्गठन करने हेतु निर्देशित किया जाता है। यह वित्त (व्यय–2) विभाग की आई डी संख्या 162200772 दिनांक 19–05–2022 से माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय से अनुमोदित है।

(नरेश कुमार ठकराल)
शासन सचिव
वित्त (व्यय) विभाग

वित्त (व्यय-1) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी नं. 641
दिनांक 27/5/22

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (व्यय–1, 2, 3, 4, 5) विभाग
अशा.टीप क्रमांक FD/E-2/कार्मिक(5)/2022-23
जयपुर, दिनांक 25–05–.2022

राजस्थान सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

*****

28 MAY 2019

क्रमांकः प॰ 5(8)प्राशि/2016 जयपुर, दिनांकः 28 MAY 2019

1. आयुक्त सह विशिष्ट सचिव, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंराज (प्राशि) राजस्थान, बीकानेर।

विषयः शैक्षणिक स्टॉफ के पदों का विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण/पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.12.2018 के द्वारा आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर कम विशिष्ट शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण/पदस्थापन के सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 21.04.2016 एवं 24.06.2016 तथा अन्य के **अतिक्रमण** में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1. राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 में वरिष्ठ अध्यापक के हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य विषयों के पद संवर्गित है। वर्ष 2016–17 में शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन की प्रक्रिया में वरिष्ठ अध्यापक के पदों का राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प॰16(3)शिक्षा–2/2011 दिनांक 16.10.2015 (संलग्न **परिशिष्ट–1**) के अनुसार हैडटीचर/संस्था प्रधान, उच्च प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक विद्यालय के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य) में संभागवार वितरण संलग्न **परिशिष्ट–2** तथा जिलेवार वितरण संलग्न **परिशिष्ट–3** के अनुसार किया गया। उक्त क्रम में स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निर्धारण के दौरान वरिष्ठ अध्यापक के पदों का राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प॰16(3)शिक्षा–2/2011 दिनांक 16.10.2015 (संलग्न **परिशिष्ट–1**) के अनुसार हैडटीचर/संस्था प्रधान, उच्च प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक विद्यालय के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य) में आनुपातिक रूप से संभागवार वितरण **परिशिष्ट–2** तथा जिलेवार वितरण **परिशिष्ट–3** पुनर्निर्धारित किया जावें।

2. पदों के पुनर्निर्धारण एवं समानीकरण की कार्यवाही प्रथमतः वर्ष 2016–17 में एवं तत्पश्चात् प्रत्येक दो वर्ष में की जानी थी तथा भविष्य में भी प्रत्येक 02 वर्ष में की जायेगी। मानदण्डों के अनुसार पदों की गणना हेतु रियल टाईम नामांकन को आधार माना जावेगा। तद्नुसार जिस माह स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल पर पुनर्निर्धारण हो, उससे पूर्व माह की अंतिम तिथि के नामांकन को आधार रखा जावेगा।

(नोटः–यदि स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल पर पुनर्निर्धारण मई, जून या जुलाई माह में किया जाता है तो पूर्व सत्र के अंतिम नांमांकन को आधार रखा जायेगा। जून या जुलाई से भिन्न अन्य माह में स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल पर पुनर्निर्धारण होता है तो पूर्व माह की अंतिम तिथि के नामांकन को आधार रखा जावेगा।)

3. प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान (प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय) के कार्य हेतु एक वरिष्ठ अध्यापक का पद स्वीकृत किया जावेगा। जिले में सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वरिष्ठ अध्यापक का पद निम्नानुसार प्रक्रिया से आवंटित किया जावेगा :–

a. जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों/एकीकृत माध्यमिक/एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में संस्था–प्रधान/हैडटीचर के कार्य हेतु वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत है, उन विद्यालयों में संस्था–प्रधान/हैडटीचर के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय वर्तमान में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक के विषय के अनुसार होगा।

b. जिन एकीकृत माध्यमिक/एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हैडटीचर के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का पद वर्तमान में रिक्त है, उन विद्यालयों में हैडटीचर कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय सामाजिक विज्ञान होगा।

c. 150 अथवा उनसे अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय सामाजिक विज्ञान होगा।

d. नव क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक (द्वितीय श्रेणी) के पदसामान्य विषय (50 प्रतिशत) एवं सामाजिक विज्ञान विषय (50 प्रतिशत) के निर्धारित/आवंटित किये जायेंगे।

e. **बिन्दु संख्या 1 में वर्णित संलग्न पुनर्निर्धारित परिशिष्ट–3 पर आवंटित** विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों के पदों की संख्यात्मक सीमा तक बिन्दु संख्या 3(a), 3(b), 3(c) एवं 3(d) के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक के विषय आवंटन से शेष जिले के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों को नामांकन के अनुसार घटते हुये क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा। तत्पश्चात इन विद्यालयों को नामांकन के घटते हुए क्रमानुसार **बिन्दु संख्या 1 में वर्णित संलग्न पुनर्निर्धारित परिशिष्ट–3 पर आवंटित** विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों के पदों की संख्यात्मक सीमा तक {बिन्दु संख्या 3(a), 3(b), 3(c) एवं 3(d) पर आवंटित पदों को कम करते हुए} वरिष्ठ अध्यापक के पदों का निम्नलिखित विषयों के क्रम में आनुपातिक रूप से निर्धारित किया जावेगा –

1. सामाजिक विज्ञान
2. अंग्रेजी
3. गणित
4. विज्ञान
5. हिन्दी
6. तृतीय भाषा
7. सामान्य विषय

नोट– उच्च प्राथमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक विषय हिन्दी व संस्कृत का पद आवंटित करते समय यह ध्यान रखा जावेगा कि संबंति विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा केवल संस्कृत ही संचालित की जा रही है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक विषय–उर्दु, पंजाबी, सिंधी व गुजराती का पद आवंटित करते समय यह ध्यान रखा जावेगा कि संबंधित आवंटित विषय संबंधित विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा के रूप में संचालित किया जा रहा है।

4. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में आधार (BASE) स्वीकृत पदों (अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–1, अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–2 एवं शारीरिक शिक्षक (ग्रेड–III)) एवं स्वीकृत पदों का संबंध निम्नांकित तालिका के अनुसार होगा –

आधार (BASE) स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
01	02
अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–1	ट्रेनी टीचर, शिक्षा कर्मी, वरिष्ठ शिक्षा कर्मी, अति वरिष्ठ शिक्षा कर्मी , पैराटीचर, महिला पैराटीचर, अन्य संविदा कार्मिक, कला शिक्षक, विशेष शिक्षक लेवल–1, प्रबोधक लेवल–1, अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–1
अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–2	विशेष शिक्षक लेवल–2, प्रबोधक लेवल–2, अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–2
शारीरिक शिक्षक (ग्रेड–III)	पैरा शारीरिक शिक्षक, प्रबोधक शारीरिक शिक्षक, शा.शिक्षक (ग्रेड–III)

नोट–उपरोक्त के कॉलम संख्या 01 के अनुसार आधार (BASE) स्वीकृत पद ही हमेशा निर्धारित एवं रिक्त होंगे। कॉलम संख्या 02 के मूल पद वाला कार्मिक कॉलम संख्या 01 के स्वीकृत रिक्त पद पर पदस्थापित/समायोजित/स्थानान्तरित होगा। कॉलम संख्या 02 के मूल पद वाले कार्मिक के कार्यग्रहण करते ही विद्यालय का कॉलम संख्या 01 के अनुसार स्वीकृत पद कार्मिक के मूल पद कॉलम संख्या 02 के अनुसार **Auto Shift** होगा तथा कॉलम संख्या 02 के मूल पद वाले कार्मिक के कार्यमुक्त होते ही विद्यालय का स्वीकृत पद पुनः **Auto Shift** होकर कॉलम संख्या 01 के अनुसार आधार (BASE) स्वीकृत पदानुसार ही रिक्त रहेगा।

5. उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–2 के पदों का विषयवार निर्धारण निम्नांकित तालिका के अनुसार होगा –

क्र. सं.	प्रधानाध्यापक के कार्य हेतु स्वीकृत वरि॰ अध्यापक के पद का विषय	कक्षा 6 से 8 के 105 तक के नामांकन वाल विद्यालयों में लेवल 2 अध्यापक (ग्रेड–III) के विषय (03 अध्यापक लेवल –2 आवंटित किये जाने है)	कक्षा 6 से 8 में 105 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में दिये जाने वाले लेवल–2 अध्यापक (ग्रेड–III) के अतिरिक्त पदों के विषय का क्रम (कक्षा 6 से 8 में 105 से अधिक प्रत्येक 35 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक दिया जाना है) एवं साथ ही प्रत्येक उत्कृष्ट उप्रावि में अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल द्वितीय का एक अतिरिक्त पद आवंटित किये जाने के विषय का कम।
1	2	3	4
1.	सामाजिक विज्ञान	अंग्रेजी, गणित/विज्ञान, हिन्दी/तृतीय भाषा	i. सामाजिक विज्ञान ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. गणित/विज्ञान iv. अंग्रेजी
2.	गणित	अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी/तृतीय भाषा	i. गणित/विज्ञान ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान iv. अंग्रेजी
3.	अंग्रेजी	गणित/विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी/तृतीय भाषा	i. अंग्रेजी ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान iv. गणित/विज्ञान

क्र. सं.	प्रधानाध्यापक के कार्य हेतु स्वीकृत वरि॰ अध्यापक के पद का विषय	कक्षा 6 से 8 के105 तक के नामांकन वाल विद्यालयों में लेवल 2 अध्यापक (ग्रेड–III) के विषय (03 अध्यापक लेवल –2 आवंटित किये जाने है)	कक्षा 6 से 8 में 105 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में दिये जाने वाले लेवल–2 अध्यापक (ग्रेड–III) के अतिरिक्त पदों के विषय का क्रम (कक्षा 6 से 8 में 105 से अधिक प्रत्येक 35 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक दिया जाना है) एवं साथ ही प्रत्येक उत्कृष्ट उप्रावि में अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल द्वितीय का एक अतिरिक्त पद आवंटित किये जाने के विषय का क्रम।
1	2	3	4
4.	विज्ञान	अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी / तृतीय भाषा	i. गणित / विज्ञान ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान iv. अंग्रेजी
5.	हिन्दी	अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित / विज्ञान	i. हिन्दी / तृतीय भाषा ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान iv. अंग्रेजी v. गणित / विज्ञान
6.	तृतीय भाषा	अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित / विज्ञान	i. हिन्दी ii. तृतीय भाषा iii. सामाजिक विज्ञान iv. अंग्रेजी v. गणित / विज्ञान
7.	सामान्य विषय	हिन्दी / तृतीय भाषा / अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित / विज्ञान	i. अंग्रेजी (यदि प्रथम तीन में हिन्दी / तृतीय भाषा ली गयी है अन्यथा हिन्दी) ii. तृतीय भाषा (यदि प्रथम चार में अंग्रेजी व हिन्दी भाषा ली गई है अन्यथा हिन्दी) iii. सामाजिक विज्ञान iv. हिन्दी v. गणित / विज्ञान

तृतीय श्रेणी लेवल–2 विषय हिन्दी / तृतीय भाषा (संस्कृत / उर्दू / पंजाबी / गुजराती / सिंधी) के पद निर्धारण / आवंटन में निम्न व्यवस्था रखी जायेगी –

1. जिले के कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आधे (50 प्रतिशत) विद्यालयों में से वरिष्ठ अध्यापक (प्रधानाध्यापक) विषय–हिन्दी निर्धारित विद्यालयों की संख्या कम करते हुए शेष विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–2 विषय हिन्दी का पद रेण्डमली निर्धारित किया जावेगा।

   नोटः– यह विशेष ध्यान रखा जाना है तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–2 विषय–हिन्दी का पद केवल उन्हीं विद्यालयों में निर्धारित किया जाना है, जिनमें कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा केवल संस्कृत ही अध्ययन करवाई जाती है।

2. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से शेष जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों विद्यालयों (जिले के कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आधे (50 प्रतिशत) विद्यालयों) में से वरिष्ठ अध्यापक (प्रधानाध्यापक) विषय–संबंधित तृतीय भाषा निर्धारित विद्यालयों की संख्या कम करते हुए शेष जिन विद्यालयों कक्षा 6 से 8 में केवल एक तृतीय भाषा संचालित है उनविद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–2 विषय तृतीय भाषा (**विषय–संस्कृत / उर्दू / पंजाबी / सिंधी / गुजराती**) के पद का विषय विद्यालय में संचालित तृतीय भाषा स्वीकृत किया जायेगा।

3. बिन्दु संख्या 1 व 2 के अतिरिक्त शेष जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 6 से 8 में एक से अधिक तृतीय भाषा संचालित) में से उपरोक्त बिन्दु संख्या 5 (3) में कम किए हुए से शेष वरिष्ठ अध्यापक (प्रधानाध्यापक) विषय–संबंधित तृतीय भाषा निर्धारित विद्यालयों की संख्या कम करते हुए शेष विद्यालयों जिनमें कक्षा 6 से 8 मेंएक से अधिक तृतीय भाषा संचालित है ऐसे विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–2 विषय– तृतीय भाषा (**विषय–संस्कृत/उर्दू /पंजाबी/ सिंधी /गुजराती)** के पद का विषय विद्यालय में जिस तृतीय भाषा के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है उस तृतीय भाषा का विषय स्वीकृत किया जायेगा। यदि तृतीय भाषा के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या समान है रेण्डमली तृतीय भाषा का विषय स्वीकृत किया जायेगा।

4. **प्रत्येक उत्कृष्ट उप्रावि में अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल–द्वितीय का एक अतिरिक्त पद आवंटित किया जावेगा। जिलेवार नवीन सीधी भर्ती के समय उत्कृष्ट उप्रावि में उपरोक्त आवंटित अतिरिक्त पदों को कम करके ही शेष पदों की गणना की जावेगी अर्थात् इन्हें रिक्तियों में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।यह विभाग की अस्थाई व्यवस्था है। इसे स्टाफिंग पैटर्न के विभागीय निर्देशों में स्थाई रिक्ति नहीं मानी जावें।**

6. अध्यापक (ग्रेड–।।।) लेवल 1 के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदों का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :–

   a) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक (ग्रेड–।।।) लेवल 1 के पदों का निर्धारण आरटीई के प्रावधानों के अनुसार कक्षा 1 से 5 के नामांकन के आधार पर किया जावेगा।

   b) प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5 तक संचालित) में आरटीई के प्रावधानों के अनुसार नामांकन 150 अथवा उससे अधिक होने पर संस्थाप्रधान (हैड टीचर) के कार्य हेतु वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) का पद देय होगा।अन्य प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5 तक संचालित) में संस्था प्रधान का कार्य वरिष्ठतम अध्यापक/प्रबोधक द्वारा सम्पादित कराया जावेगा।
   (नोटः– विद्यालय में अध्यापक/प्रबोधक के कार्यरत नहीं होने की स्थिति में संस्था प्रधान का कार्य वरिष्ठतम कार्यरत कार्मिक द्वारा सम्पादित कराया जावेगा।)

   c) जिन विद्यालयों में संविदा कार्मिक यथा शिक्षाकर्मी (वरिष्ठ एवं अतिवरिष्ठ शिक्षाकर्मी सहित), पैराटीचर (महिला, राजीव गांधी, वैकल्पिक इत्यादि), ट्रेनी टीचर कार्यरत है, वहां अध्यापक (ग्रेड–।।।) लेवल–1 के पद के स्थान पर संविदा कार्मिक का पद दिया जावेगा। यदि विद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मियों की संख्या विद्यालय के नामांकन के आधार पर स्वीकृत अध्यापक (ग्रेड–।।।) लेवल–1 के पदों की संख्या से ज्यादा है तो विद्यालय में कार्यरत अतिरिक्त संविदा कर्मियों को **बिन्दु संख्या 11 के अनुसार** अधिशेष (Surplus) किया जाकर पद सहित अन्य निकटस्थ विद्यालय में स्थानान्तरित किया जावेगा।

   d) जिन विद्यालयों में विशेष शिक्षक लेवल–1/प्रबोधक लेवल–1/कला शिक्षक कार्यरत/नियुक्त हैं, वहाँ अध्यापक (ग्रेड–।।।)लेवल 1 के पद के स्थान पर विशेष शिक्षक लेवल–1/प्रबोधक लेवल–1/कला शिक्षक का पद दिया जावेगा। यदि विद्यालय में कार्यरत विशेष शिक्षक लेवल–1/प्रबोधक लेवल–1/कला शिक्षक की संख्या विद्यालय के नामांकन के आधार पर स्वीकृत अध्यापक (ग्रेड–।।।) लेवल–1 के पदों की संख्या से ज्यादा है तो विद्यालय में कार्यरत अतिरिक्त विशेष शिक्षक लेवल–1/प्रबोधक लेवल–1/कला शिक्षक को **बिन्दु संख्या 11 के अनुसार** अधिशेष (Surplus) किया जाकर पद सहित अन्य निकटस्थ विद्यालय में स्थानान्तरित किया जावेगा।

7. वर्ष 2016–17 में पदों के निर्धारण से पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के विधालयों में पृथक से शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत न करके अध्यापक (ग्रेड–III) के स्वीकृत पद पर ही शारीरिक शिक्षक का पदस्थापन किया जाता है, जिसके कारण शारीरिक शिक्षकों का पदस्थापन आवश्यकता के आधार पर नहीं हो पाता है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक के कार्य हेतु अध्यापक (ग्रेड–III) के पद के स्थान पर शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III के पद का आवंटन निम्नानुसार किया जावेगाः–

   a) इन पदों का आवंटन सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III के कुल स्वीकृत पदों में से ही किया जावेगा।

   b) उपरोक्त बिन्दु संख्या 7(a) के पश्चात्शेष आवश्यक शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III पदों का आवंटन अध्यापक (ग्रेड–III) के कुल स्वीकृत पदों में से ही किया जावेगा।

   c) 105 से अधिक नामांकन वाले समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III का पद आवंटित किया जावेगा।

   d) यदि जिले में प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में कुल कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III,प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) एवं पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) की संख्या जिले में प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में कुल स्वीकृत शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III,प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) एवं पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) से अधिक है तो 105 एवं 105 से कम नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन के घटते क्रम में आवश्यक पदों की सीमा तक 101 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III का पद आवंटित किया जावेगा।

   e) बिन्दु संख्या 7(c) एवं 7(d) द्वारा शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III पद आवंटित जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पर पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) कार्यरत है, उनमें शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III के स्थान पर प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) का पद दिया जावेगा।

   f) उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी विद्यालय में प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पर पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) कार्यरत है तो विद्यालयों में कार्यरत प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) को बिन्दु संख्या 11 के अनुसार अधिशेष (Surplus) किया जाकर पद सहित शारीरिक शिक्षक (ग्रेड–III) की अनुपलब्धता वाले बिन्दु संख्या 7(c) एवं 7(d) द्वारा शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III पद आवंटितउच्च प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित/स्थानान्तरित किया जावेगा।

   g) बिन्दु संख्या 7(c) एवं 7(d) द्वारा शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III पद आवंटित उच्च प्राथमिक विद्यालयों से कम नामांकन वाले उप्रावि में पूर्ण कालिक शारीरिक शिक्षक का पद आवंटित नहीं किया जावेगा, इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ही अंशकालिक शारीरिक शिक्षक का कार्य सम्पादित किया जावेगा।

8. **प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों के कालांशों एवं कक्षाओं का आवंटन**

   a) द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान के रूप में कार्यरत) द्वारा संस्था प्रधान के कार्य के साथ–साथ कक्षा 6 से 8 में अपने **संबंधित विषय का** शिक्षण कार्य भी करवाया जावेगा परन्तु विद्यालय में **अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल–2/ लेवल–1** पद रिक्त होने की स्थिति में प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यकतानुसार कक्षा 1 से 8 में भी शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।

   b) अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल–1 प्राथमिक तौर पर कक्षा 1 से 5 को शिक्षण कार्य करवायेंगे। **द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल–2** पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यापक ग्रेड–।।। (लेवल 1) के अध्यापकों से उनके पास

अपेक्षित योग्यता होने पर आवश्यकतानुसार कक्षा 6 से 8 में भी शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।

c) अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल–2 के अध्यापकों द्वारा प्राथमिक तौर पर कक्षा 6 से 8 में अपने **संबंधित विषय का ही** शिक्षण कार्य करवाया जावेगा परन्तु विद्यालय में **द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक / अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल–2 / अध्यापक ग्रेड–।।।**

d) **लेवल–1** का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यापक ग्रेड–।।। (लेवल 2) के अध्यापकों से आवश्यकतानुसार कक्षा 1 से 8 में भी शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।

e) शारीरिक शिक्षक ग्रेड–ाा द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य विषयों का शिक्षण कार्य भी करवाया जावेगा।

f) सभी संविदा कार्मिक शैक्षणिक योग्यता एवं आवश्यकतानुसार कक्षा 1 से 5/8 में शिक्षण कार्य करेंगे।

g) जिन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में नामांकन 100 से अधिक है, उनमें कला शिक्षा का अलग से पद नहीं दिया जायेगा अपितु इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ही अंशकालिक कला शिक्षक का कार्य किया जायेगा परन्तु यदि किसी विद्यालय में कला शिक्षक का अध्यापक पूर्व से ही पदस्थापित है तो वही उस विद्यालय में कला शिक्षा का शिक्षण करवाएगा।

h) जिन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में नामांकन 100 से अधिक है उनमें कार्यानुभव का अलग से पद नहीं दिया जायेगा अपितु इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ही अंशकालिक कार्यानुभव शिक्षण का कार्य किया जायेगा।''

9. **मानदण्डानुसार प्रत्येक जिले में विद्यालयवार पदों का संख्यात्मक/विषयवार निर्धारण संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में गठित निम्नांकित समिति द्वारा किया जावेगा। उक्त समिति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टाफिंग मानदण्डों के अनुसार जिले में पदों के पुनर्निर्धारण एवं समानीकरण की कार्यवाही करेगी :–**

1.	संबंधित संयुक्त निदेशक –	अध्यक्ष
2.	संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी –	सदस्य
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा –	सदस्य सचिव
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा –	सदस्य
5.	संयुक्त निदेशक कार्यालय के संस्थापन अनुभाग प्रभारी अधिकारी –	सदस्य
6.	जिले के समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी –	सदस्य
7.	जिले के समस्त अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रथम)–	सदस्य

10. बिन्दु संख्या 9 में वर्णित समिति की अभिशंषा के आधार पर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंराज (प्राशि) द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत कुल पदों की सीमा तक जारी किये जाएंगे। यदि कुल स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है, तो वित्त विभाग/राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त की जावेगी।

11. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा विषयवार पदों की स्वीकृति के आदेश जारी करने के पश्चात वर्तमान विद्यालय में स्वीकृत पदों पर विभागीय नियमानुसार समायोजन पश्चात् संबंधित अधिकारी द्वारा विद्यालय में कार्यरत अधिकत्तम ठहराव वाले अध्यापक/कार्मिक को **मूल पद एवं विषयवार** अधिशेष (Surplus) घोषित किया जाकर अन्य विद्यालय में स्वीकृत रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार निम्न क्रमानुसार काउंसलिंग द्वारा पदस्थापित किया जावेगा। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे:–

a) द्वितीय श्रेणी अध्यापक को उनके विषय के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान के रूप में कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक (प्रधानाध्यापक)के पद पर ही पदस्थापित किया जावेगा।

b) संविदा पर कार्यरत कार्मिकों (ट्रेनी टीचर, शिक्षा कर्मी, वरिष्ठ शिक्षा कर्मी, अति वरिष्ठ शिक्षा कर्मी , पैराटीचर, महिला पैराटीचर, अन्य संविदा कार्मिक), कला शिक्षकों को उनके स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) पर ही पदस्थापित किया जावेगा।
(नोट– संविदा पर कार्यरत कार्मिकों (ट्रेनी टीचर, शिक्षा कर्मी, वरिष्ठ शिक्षा कर्मी, अति वरिष्ठ शिक्षा कर्मी, पैराटीचर, महिला पैराटीचर, अन्य संविदा कार्मिक) की काउंसलिंग हेतु मिश्रित वरीयता सूची तैयार की जायेगी।)

c) विशेष शिक्षक लेवल 1, विशेष शिक्षक लेवल 2 सामान्य विषय, प्रबोधक लेवल 1, प्रबोधक लेवल 2 सामान्य विषय, अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 1 एवं अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 2 सामान्य विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को केवल अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 1 के स्वीकृत रिक्त पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) पर ही पदस्थापित किया जावेगा।
(नोट–लेवल 1 एवं लेवल 2 सामान्य विषय के कार्मिकों की काउंसलिंग हेतु मिश्रित वरीयता सूची तैयार की जायेगी। विशेष शिक्षक, प्रबोधक, अध्यापक ग्रेड–।।। की काउंसलिंग के लिए अलग–अलग वरीयता सूची तैयार की जायेगी तथा काउंसलिंग आयोजित कराने का क्रम क्रमशः विशेष शिक्षक, प्रबोधक, अध्यापक ग्रेड–।।। रहेगा)

d) विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 2 के गणित/विज्ञान एवं अंग्रेज़ी विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को उनके विषय के स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) पर ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।

e) विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 2 के सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को उनके **मूल** विषय के स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) **पर ही** केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।

f) पूर्व में की गई नियुक्तियों में सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 2 आवश्यकता से अधिक होने की स्थिति में उपर्युक्त बिन्दु संख्या 11 (e) द्वारा **संबंधित विषय के स्वीकृत पदों पर ही** इन्हें पदस्थापित किये जाने के बाद अधिशेष रहे विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 2 सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को स्वीकृत अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 1 के पद के (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) विरूद्ध केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।

g) पूर्व में की गई नियुक्तियों में सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 2 आवश्यकता से अधिक होने की स्थिति में क्रमशः उपर्युक्त बिन्दु संख्या 11 (e) एवं 11 (f) द्वारा इन्हें पदस्थापित /समायोजित किये जाने के बाद अधिशेष रहे विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 2 सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को स्वीकृत अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 1 के पद (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) के विरूद्ध प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।

h) पूर्व में की गई नियुक्तियों में हिन्दी एवं संस्कृत विषय के विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 2 आवश्यकता से अधिक होने की स्थिति में क्रमशः उपर्युक्त बिन्दु संख्या 11 (e), 11 (f) एवं 11 (g) द्वारा इन्हें पदस्थापित/समायोजित किये जाने के बाद अधिशेष रहे विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 2 के हिन्दी एवं संस्कृत विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को एक–दूसरे (हिन्दी को संस्कृत पर एवं संस्कृत को हिन्दी पर) के **मूल विषयों** के स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) के विरूद्ध केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।

नोटः –बिन्दु संख्या 11(e),11(f),11(g) एवं 11(h) की कियान्विति के लिए लेवल–2 विषय सामाजिक अध्ययन, हिन्दी एवं तृतीय भाषा के कार्मिकों की मिश्रित वरीयता सूची बिन्दु संख्या 17(ii)के अनुसार तैयार कर काउंसलिंग आयोजित की जायेगी।

i) पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) एवं प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) को शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III के स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ही पदस्थापित किया जावेगा।

(नोटः–पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) एवं प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) की काउंसलिंग के लिए अलग–अलग वरियता सूची तैयार की जायेगी तथा काउंसलिंग आयोजित कराने का क्रम कमशः पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा), प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) रहेगा।

j) शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III को प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III के पदों पर ही पदस्थापित किया जावेगा ।

k) विशेष शिक्षकों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 28.3.2018 के अनुसार कम से कम 04 CWSN विद्यार्थियों के नामांकन वाले विद्यालयों में ही तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षकों को पदस्थापित/समायोजित किया जावेगा।

l) अधिशेष वरिष्ठ अध्यापकों (प्रधानाध्यापकों) के संबंधित विषय के संबंधित मण्डल में ही प्रारम्भिक शिक्षा में रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रिक्त पदों से अधिक अधिशेष वरिष्ठ अध्यापकों (प्रधानाध्यापकों) को संयुक्त निदेशक, संबंधित संभाग को आगामी पदस्थापन हेतु सुपुर्द किया जावेगा। ऐसे अधिशेष वरिष्ठ अध्यापक (प्रधानाध्यापक) जिनकी सेवानिवृत्ति में 6 माह से कम की अवधि शेष है, उनका पदस्थापन भी काउंसलिंग के माध्यम से रिक्त पदों पर किया जावेगा एवं वे तृतीय श्रेणी अध्यापक जो संस्था प्रधान के रूप में पातेय वेतन पर कार्यरत है, विभागीय प्रकियानुसार एवं नियमानुसार उनके अधिशेष होने पर उनका पदस्थापन भी काउंसलिंग के माध्यम से रिक्त पदों पर किया जावेगा।

m) अधिशेष (Surplus) अध्यापकों/शैक्षणिक कार्मिकों को आवश्यकतानुसार निम्न वरियता क्रम में अन्य विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।

क) उसी ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालयों में रिक्त स्वीकृत पद पर। (बिन्दु संख्या 11 (a) से 11(l) के कमानुसार)

ख) ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालयों में मानदण्डानुसार समायोजन नहीं होने पर उसी पंचायत समिति की अन्य ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालयों में रिक्त स्वीकृत पद पर। (बिन्दु संख्या 11 (a) से 11(l) के कमानुसार)

ग) क और ख के अनुसार समायोजन नहीं होने पर जिले की अन्य पंचायत समिति में स्थित विद्यालयों में रिक्त स्वीकृत पद पर।(बिन्दु संख्या 11 (a) से 11(l) के कमानुसार)

घ) क, ख और ग के अनुसार समायोजन नहीं होने पर उसी संभाग के अन्य जिले में स्थित प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पद पर। **(केवल बिन्दु संख्या 11 (a) के लिए लागू है)**

नोट :

1. **जिले की वरीयता सूची के क्रमानुसार अधिशेष कार्मिक काउन्सलिंग के समय जिस ग्राम पंचायत के विद्यालय से अधिशेष हुए थे उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद का चयन बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (a) से (l) के कमानुसार अपने समायोजन/पदस्थापन हेतु करेगा। यदि उस ग्राम पंचायत के विद्यालयों में बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (a) से (l) के कमानुसार कहीं भी रिक्त पद उपलब्ध नहीं है तो उसी समय अपने ब्लॉक की अन्य ग्राम पंचायत के विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद का चयनबिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (a) से (l)के कमानुसार अपने समायोजन/पदस्थापन हेतु करेगा। यदि अपने ब्लॉक के सभी विद्यालयों में बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (a) से (l)के कमानुसार कहीं भी रिक्त पद उपलब्ध नहीं रहता है तो उसी समय वह जिले के किसी भी ब्लॉक के विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद का चयन बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (a) से (l)के कमानुसार अपने समायोजन/पदस्थापन हेतु कर सकेगा।**
2. **संबंधित पद–लेवल एवं विषय के संविदा कार्मिक, विशेष शिक्षक, प्रबोधक एवं अध्यापक ग्रेड–III की काउंसलिंग के लिए अलग–अलग वरीयता सूची तैयार की**

जायेगी तथा काउंसलिंग आयोजित कराने का क्रम क्रमशः संविदा कार्मिक, विशेष शिक्षक, प्रबोधक, अध्यापक ग्रेड–।।। रहेगा।

3. काउंसलिंग आयोजित कराने का क्रम बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु **(a)** से **(l)** के क्रमानुसार रहेगा।
4. शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III को काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III के रिक्त पदों को प्रदर्शित करते हुए बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु **(m)** में वर्णित क्रमानुसार पदस्थापित किया जावेगा।

n) अन्य किसी तरह से अधिशेष कार्मिकों को अन्य विद्यालय में शाला दर्पण पोर्टल पर निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा ही समायोजित करते हुए पदस्थापित किया जावेगा।

12. उक्तानुसार विद्यालयवार स्वीकृत पदों के निर्धारण एवं अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों के चिन्हिकरण की कार्यवाही की जायेगी। इन अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का रिक्त पदों वाले अन्य विद्यालयों में समायोजन/पदस्थापन किया जायेगा।

13. माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में सृजित/रिक्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों को भरने के लिए **प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम के नियम 6 डी के तहत सेटअप परिवर्तितएवं राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त अध्यापकों की वर्तमान पदस्थापित जिले में कार्यग्रहण तिथि की वरीयतानुसार मिश्रित सूची जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा शाला दर्पण पोर्टल से तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा द्वारा काउन्सिलिंग के माध्यम से पदस्थापन/समायोजन** की कार्यवाही हेतु शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग के आदेश क्रमांकः प. 17(2)शिक्षा–2/2003 दिनांक 08.05.2016 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये है, जिसके तहत कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत पंचायतीराज सेटअप के वे शिक्षक/कार्मिक जिनका सेटअप परिवर्तन नहीं हुआ है, पंचायतीराज विभाग में वापस आ जावेंगे। इन सभी कार्मिकों का भी पंचायती राज विभाग के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर समायोजन/पदस्थापन किया जायेगा।

14. इसके अतिरिक्त शून्य नामांकन वाले विद्यालयों के शिक्षक/कार्मिकों का समायोजन/पदस्थापन भी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उक्तानुसार रिक्त पदों पर किया जायेगा।

15. बिन्दु संख्या –12, 13 व 14 के अनुसार उपलब्ध अधिशेष कार्मिकों का पदस्थापन/समायोजन प्रारंभिक शिक्षा/पंचायतीराज विभाग के अधीन संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर जिला स्तर पर काउन्सलिंग के माध्यम से किया जायेगा।

16. काउन्सलिंग की प्रक्रिया सम्पादित करने हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय कमेटी को अधिकृत किया जाता हैः–

1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिला परिषद–	अध्यक्ष
2.	जिला कलक्टर द्वारा नामित (ADM) स्तर का अधिकारी–	सदस्य
3.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी–	सदस्य
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा–	सदस्य
5.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा –	सदस्य सचिव

17. उपरोक्त समिति निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के तहत अधिशेष कार्मिकों के पदस्थापन/समायोजन के प्रस्ताव काउन्सलिंग प्रक्रिया के माध्यम से तैयार करेगीः–

(i) अधिशेष शिक्षकों/कार्मिकों के समायोजन/पदस्थापन की कार्यवाही प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बिन्दु संख्या 11 के अनुसार संवर्गवार/मूल पद–विषयवार काउन्सलिंग के माध्यम से की जावेगी।

(ii) जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा द्वारा अध्यापकों/शैक्षणिक कर्मियों की वरीयता एवं रिक्तियों को शाला दर्पण पोर्टल से जनरेट करके प्रकाशन विभागीय वेबसाईट तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर किया जाकर, वरीयता सूची में निर्धारित कमानुसार काउन्सलिंग कैम्प (परामर्श शिविर) आयोजित किया जावेगा। वरियता कम का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगाः–

a) 40 प्रतिशित से अधिक दिव्यांग एवं असाध्य रोग से पीड़ित अभ्यर्थी (वर्तमान मूल पद एवं विषय पर जिले में कार्यग्रहण तिथि के कम में)

b) विधवा एवं परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी (वर्तमान मूल पद एवं विषय पर जिले में कार्यग्रहण तिथि के कम में)

c) महिला अभ्यर्थी (वर्तमान मूल पद एवं विषय पर जिले में कार्यग्रहण तिथि के कम में)

d) शेष अभ्यार्थी (वर्तमान मूल पद एवं विषय पर जिले में कार्यग्रहण तिथि के कम में)

(iii) कार्मिक द्वारा (परामर्श कैम्प में) चयनित रिक्त स्थान पर पदस्थापन के प्रस्तावित आदेश कैम्प के दिन ही जारी कर, वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जायेंगे।

(iv) जो अध्यापक लेवल–I एवं लेवल–II (विषयवार) Counselling (परामर्श प्रकिया) में अनुपस्थिति रहेंगे, उनके Counselling (परामर्श प्रकिया) पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा द्वारा प्रकाशित रिक्तियों में से शेष रहे पदों पर पदस्थापन के प्रस्तावित आदेश कैम्प के दिन ही जारी कर वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जायेंगे।

(v) **पंचायती राज सेटअप के अधिशेष कार्मिकों/शिक्षकों का पदस्थापन/समायोजन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जावेगा।**

(vi) काउंसलिंग (परामर्श प्रकिया) शुरू करने से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों एवं कार्मिक की विगत (सही Details Where about) की सही जांच कर काउंसलिंग (परामर्श) प्रकिया शुरू की जावें, जिससे त्रुटियां नहीं हो। संस्थागत त्रुटियां होने पर संबंधित के विरूद्ध विभागीय जांच सुनिश्चित की जावे।

(vii) किसी भी परिस्थिति में शून्य नामांकन वाले विद्यालयों में पदस्थापन/समायोजन नहीं किया जायेगा।

(viii) यह सुनिश्चित किया जावेगा कि पदस्थापन/समायोजन की प्रकिया के पश्चात कोई भी विद्यालय (शून्य नामांकन वाले विद्यालय को छोडकर) शिक्षक विहिन नहीं हो। विद्यालय के सभी अध्यापकों/शैक्षणिक कार्मिकों का विभागीय नियमानुसार अन्य विद्यालयों में समायोजन/पदस्थापन होने की स्थिति में विद्यालय के कनिष्ठतम कार्मिक को तब तक कार्यमुक्त नहीं करना है जब तक विद्यालय में अन्य कार्मिक समायोजन/पदस्थापन/नव पदस्थापन/स्थानांतरण से कार्यग्रहण नहीं करें।

(ix) ऐसे प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिनका एकीकरण (Merge)/कमोन्नति माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हो चुका है उनमें अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का समायोजन/पदस्थापन माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पदों पर समायोजन के पश्चात शेष रहे अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का समायोजन/पदस्थापन प्रा. शि./पंचायतराज विभाग के विद्यालयों में किया जावेगा।

18. काउन्सलिंग के पश्चात उपरोक्त समिति द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव के अनुसार शिक्षकों/कर्मियों के पदस्थापन/समायोजन के आदेश जिला परिषद की स्थापना समिति से अनुमादन करवाकर

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा.शि. द्वारा जारी किये जायेंगे। जिला परिषद की स्थापना समिति द्वारा समय पर प्रस्ताव अनुमोदन नहीं करने की स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु भिजवाये जायेंगे।

19. द्वितीय श्रेणी अध्यापकों (वरिष्ठ अध्यापकों) की काउंसलिंग संयुक्त निदेशक, संबंधित संभाग द्वारा बिन्दु संख्या11 के उपबिन्दु (a)के अनुसार बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (m) में वर्णित कमानुसार आयोजित करके काउंसलिंग के दिन ही पदस्थापन/समायोजन के आदेश संयुक्त निदेशक, संबंधित संभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

20. बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (j) के अनुसार काउंसलिग द्वारा प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में पदस्थापित/समायोजित अधिशेष शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III के पदस्थापन/समायोजन के आदेश **जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि.** द्वारा जारी किये जायेंगे।

अतः उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण/पदस्थापन की कार्यवाही, निर्धारित समय सीमा में कलेण्डर जारी कर, कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव
प्राशि एवं पंराज (प्राशि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग ।
3. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग ।
4. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग ।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
6. सचिव, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड, जयपुर।
7. उपायुक्त (शाला दर्पण), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग ।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. सहायक प्रभारी, शालादर्पण, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
12. समस्त पीईईओ।
13. समस्त संस्था प्रधान।
14. रक्षित पत्रावली।

(जगदीश नारायण जाट)
शासन सहायक सचिव

(1)

परिशिष्ट - 1

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक– प 16(3) शिक्षा–2 / 2011 जयपुर, दिनांक : 16.10.2015

1. निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर ।

2. निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर ।

विषय :–वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.04.2015 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के प्रधानाध्यापक–उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों को वरिष्ठ अध्यापक सामान्य एवं अन्य छह विषय यथा– गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, हिन्दी, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा के पदों में आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। इन दिशा–निर्देशों से उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिये इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.09.2015 द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था।

इस सम्बन्ध में समिति द्वारा दिनांक 29.09.2015 को प्रस्तुत की गई अभिशंषा के आधार पर इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.04.2015 को विलोपित करते हुये प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत प्रधानाध्यापक–उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत हैड टीचर के पदों को वरिष्ठ अध्यापक सामान्य एवं वरिष्ठ अध्यापक (गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, हिन्दी, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा) में आवंटित करने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है:–

1. प्रारम्भिक शिक्षा में प्रधानाध्यापक–उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा में हैड टीचर के कुल पदों को पदोन्नति हेतु विषयवार उपलब्ध पात्र आशार्थियों के अनुपात में विभाजित कर लिया जावें।
2. प्रारम्भिक शिक्षा में प्रधानाध्यापक–उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा में हैड टीचर के वर्ष 2008-09 से वर्तमान कुल पदों के आवंटन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे:

a) वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु विषयवार उपलब्ध पात्र आशार्थियों की संख्या में से माध्यमिक शिक्षा के उस विषय के पदोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या घटाई जावे।

b) बिन्दु संख्या a) से प्राप्त आशार्थियों के योग के आधार पर विषयवार पात्रता में उपलब्ध आशार्थियों का प्रतिशत निम्नानुसार प्राप्त किया जावे –

$$\text{विषयवार पात्रता में उपलब्ध आशार्थियों का प्रतिशत} = \frac{\text{बिन्दु संख्या a) के अनुसार विषयवार पात्र आशार्थियों की संख्या}}{\text{बिन्दु संख्या a) के अनुसार समस्त सातों विषयों हेतु पात्र आशार्थियों की संख्याओं का योग}} \times 100$$

c) उपलब्ध प्रधानाध्यापक–उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं हैडटीचर के पदों को उक्त प्रतिशत के आधार पर विषयवार आवंटित किया जावे।

d) बिन्दु संख्या c) से प्राप्त पदों को विषयवार स्वीकृत पदों में जोड़कर उस विषय के कुल पदों की संख्या की गणना की जावे।

e) बिन्दु संख्या d) के अनुसार कुल पदों की गणना के पश्चात नियमानुसार सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के पदों की संख्या की गणना की जावें।

f) यदि अन्तिम रिक्त पदों में से पदोन्नति अभ्यांश के पद ऋणात्मक प्राप्त होते है तो उस विषय की पदोन्नति शून्य की जावे।

अतः उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार सत्र 2008–2009 से वरिष्ठ अध्यापक सामान्य एवं वरिष्ठ अध्यापक गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, हिन्दी, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा के पदों की रिव्यू/नियमित डीपीसी की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(कमलेश आबूसरिया)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
3. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
4. रक्षित पत्रावली।

राजकीय शासन सचिव

परिशिष्ट–2

हैडटीचर/संस्था प्रधान–उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों में वितरण

(संभागवार) वर्तमान विद्यालय संख्या के अनुसार

क्र. सं.	संभाग का नाम	माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के हैडटीचर/संस्था प्रधान के कार्य हेतु कुल आवश्यक वरिष्ठ अध्यापक के पद	गणित	विज्ञान	अंग्रेजी	हिन्दी	सामाजिक विज्ञान	तृतीय भाषा	सामान्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जयपुर	2866	85	176	177	551	1165	310	402	2866
2	अजमेर	3223	17	129	162	643	1354	287	631	3223
3	उदयपुर	3419	0	0	0	798	1797	0	824	3419
4	कोटा	1867	17	56	49	475	607	209	455	1868
5	जोधपुर	2653	0	99	137	416	1479	292	230	2653
6	बीकानेर	1645	65	139	95	247	785	73	241	1645
7	चुरू	1887	82	114	171	355	798	81	287	1888
8	भरतपुर	1679	24	30	67	512	509	293	244	1679
9	पाली	1586	0	54	70	243	704	120	395	1586
10	योग	20825	290	797	928	4240	9198	1665	3709	20827

परिशिष्ट–3

हैडटीचर/संस्था प्रधान–उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों में वितरण

(जिलेवार)

क्र. सं.	जिलों का नाम	माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के हैडटीचर/संस्था प्रधान के कार्य हेतु कुल आवश्यक वरिष्ठ अध्यापक के पद	गणित	विज्ञान	अंग्रेजी	हिन्दी	सामाजिक विज्ञान	तृतीय भाषा	सामान्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बीकानेर	550	21	45	31	81	256	24	92	550
2	गंगानगर	616	25	53	36	94	300	28	80	616
3	हनुमानगढ	479	19	41	28	72	229	21	69	479
4	बारां	414	4	12	11	104	133	46	104	414
5	बूंदी	390	3	12	10	97	124	43	101	390
6	झालावाड़	631	6	19	16	158	202	70	160	631
7	कोटा	433	4	14	12	115	147	51	90	433
8	भरतपुर	620	10	12	27	208	207	119	37	620
9	धोलपुर	320	5	6	13	100	99	57	40	320
10	करौली	412	5	7	15	114	113	65	93	412
11	सवाईमाधोपुर	327	4	5	12	90	90	52	74	327
12	जालौर	577	0	21	28	96	278	48	106	577
13	पाली	730	0	23	30	105	302	52	218	730
14	सिरोही	278	0	9	12	42	123	21	71	278
15	बांसवाड़ा	499	0	0	0	112	251	0	136	499
16	चित्तौड़गढ़	621	0	0	0	146	329	0	146	621
17	डूंगरपुर	484	0	0	0	117	262	0	105	484
18	प्रतापगढ़	341	0	0	0	81	181	0	79	341
19	राजसंमद	580	0	0	0	135	305	0	140	580
20	उदयपुर	894	0	0	0	208	468	0	218	894
21	चूरू	565	25	35	52	108	243	25	77	565
22	झुंझुनू	594	23	32	48	100	224	23	144	594
23	सीकर	729	34	47	71	147	331	33	66	729
24	अलवर	1117	34	70	70	219	462	123	139	1117
25	दौसा	459	12	24	24	76	160	43	120	459
26	जयपुर	1290	40	82	82	256	542	145	143	1290
27	बाड़मेर	1378	0	53	73	221	787	155	89	1378
28	जैसलमेर	304	0	12	16	49	173	34	20	304
29	जोधपुर	971	0	35	48	146	519	102	121	971
30	अजमेर	739	4	32	40	158	332	70	103	739
31	भीलवाड़ा	924	5	39	49	194	408	86	143	924
32	नागौर	1040	5	40	51	201	424	90	229	1040
33	टौंक	519	2	18	23	90	190	40	156	519
34	योग	20825	290	798	928	4240	9194	1666	3709	20825

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
*****

28 MAY 2019

क्रमांकः प॰ 5(8)प्राशि/2016 जयपुर, दिनांकः 28 MAY 2019

1. आयुक्त सह विशिष्ट सचिव, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंराज (प्राशि) राजस्थान, बीकानेर।

विषयः शैक्षणिक स्टॉफ के पदों का विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण/पदस्थापन के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.05.2019 के द्वारा शैक्षणिक स्टॉफ के पदों का विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण/पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। उक्त दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 5 (4) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि **प्रत्येक उत्कृष्ट उप्रावि में अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल–द्वितीय का एक अतिरिक्त पद आवंटित किया जावेगा। जिलेवार नवीन सीधी भर्ती के समय उत्कृष्ट उप्रावि में उपरोक्त आवंटित अतिरिक्त पदों को कम करके ही शेष पदों की गणना की जावेगी अर्थात् इन्हें रिक्तियों में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।**

यह विभाग की अस्थाई व्यवस्था है। इसे स्टाफिंग पैटर्न के विभागीय दिशा–निर्देशों में स्थाई रिक्ति नहीं मानी जावेगी। तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,
(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव
प्राशि एवं पंराज (प्राशि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग ।
3. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग ।
4. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग ।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
6. सचिव, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड, जयपुर।
7. उपायुक्त (शाला दर्पण), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग ।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. सहायक प्रभारी, शालादर्पण, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
12. समस्त पीईईओ।
13. समस्त संस्था प्रधान।
14. रक्षित पत्रावली।

(जगदीश नारायण जाट)
शासन सहायक सचिव